संख्या: 22/2018/93बीपी /35-1-2018

प्रेषक,

जसजीत कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **01** अगस्त, 2018

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 परियोजनाओं की रू. 5453.85 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5280.00 लाख (रूपये बावन करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यदायी संस्था होगी :-

(धनराशि लाख रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	जनपद महोबा में बरखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना	4114.39	3983.24
2	जनपद ललितपुर में पवा ग्राम समूह पेयजल योजना	1339.46	1296.76
	योग	5453.85	5280.00

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/08/2015-एग्री.एफटीएस 2838 दिनांक 30 मई, 2018 द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपरोक्त परियोजनाओं हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

3. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कोषागार से धनराशि आहरित कर उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी ताकि आवश्यकतानुसार उसका व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

5. इस शासनादेश से उक्त कार्यों हेतु भारत सरकार से अनुमन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष आवश्यक अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी।

6. प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमावधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

9. प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त आय व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या वि-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

11. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समय बद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

13. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

14. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/उपलब्ध हुई है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना/शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

15. कार्य स्थल पर इन्हें बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।

16. कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

17. कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

18. प्रशासकीय विभाग द्वारा समय समय पर कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

19. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

20. प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष: 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -02- पिछड़ेक्षेत्र-800-अन्य व्यय -04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-77-ग्रामीण पेयजल योजनायें(के.100/रा.0)-24-वृहदनिर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। इस लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं. 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष: 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय -03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -42- अन्य व्यय की मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग आदेश संख्या: यूओ 09 बीके/35-1-2018 दिनांक 31 जुलाई, 2018 के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश विभाग के अशासकीय सं. ई-5-1082(1)/दस-2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

जसजीत कौर
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 22/2018/93 बीपी(1)/35-1-2018 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
6- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
10- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जसजीत कौर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in